[2020] 2 एस. सी. आर. 444

मानक चार्टर बैंक

वी.

एम एस टी सी लिमिटेड

(2020 की सिविल अपील संख्या 501)

21 जनवरी, 2020

[आर. एफ. नरीमन और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993। 19 , 20 , 21 और 22 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 - आर. 5 ए

समीक्षा के लिए आवेदन-अपीलार्थी-बैंक ने यू/एस आवेदन दायर किया।

- 19 आर. डी. बी. अधिनियम के तहत Rs.191,03,54,070.96/- की राशि की वसूली के लिए अपीलार्थी द्वारा एक आई. ए. दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी कंपनी के संबंधित वर्षों की शेष राशि में निहित प्रवेश को देखते हुए, रु. 222,51,00,000 / - प्रतिवादी द्वारा देय था-उक्त आई. ए. को डी. आर. टी. द्वारा अनुमति दी गई थी-प्रतिवादी ने एक अपील दायर की

डी. आर. ए. टी. के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध-अपील लंबित रहते हुए, प्रतिवादी द्वारा डी. आर. टी. के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया था-इसके बाद, पहले दायर की गई अपील को वापस ले लिया गया।

डी. आर. टी. के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 28 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था-डी. आर. टी. द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था-रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने माना कि पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के खिलाफ कोई अपील कायम नहीं रखी जाएगी और इसलिए, एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी-उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि आवेदन यू/एस। 19 आर. डी. बी. अधिनियम समीक्षा के लिए एक आवेदन को शामिल करेगा क्योंकि एक समीक्षा आवेदन यू/के तहत पारित आदेश से उत्पन्न होगा। एस. 19, यू/एस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। 22 आर. डी. बी. अधिनियम, और इसलिए एक आवेदन नहीं होगा जो हो सकता है

एस से स्वतंत्र कहा जा सकता है। 19 अधिनियम का-यह मामला होने के कारण, उच्च न्यायालय ने देरी को माफ कर दिया और डी. आर. टी. के फैसले को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसे स्पष्ट करता है, हालांकि थोड़ा अलग संदर्भ में, कि केवल आवेदन जिसे एस द्वारा संदर्भित किया जाता है। 24 आर. डी. बी. अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है। 19 और कोई अन्य नहीं-यह मामला होने के नाते, समीक्षा के लिए एक आवेदन है, आवेदन यू/एस नहीं है। 19 , लेकिन एक आवेदन यू/एस। 22 (2) (ई)

444 मानक चार्टर बैंक बनाम। एम एस टी सी लिमिटेड

आर/डब्ल्यू। आर. 5 नियमों में से ए, यह निर्णय उन आवेदनों को बाहर करने के लिए सभी चार पर लागू होगा जो एस के दायरे से समीक्षा आवेदन हैं। 24 आर. डी. बी. अधिनियम-उच्च न्यायालय ने भी गलत तरीके से या लागू किया। XLVII, r. 7 आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 22 (1) में स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण इसके द्वारा बाध्य नहीं होंगे -

सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यह स्पष्ट करती है कि या। XLVII, r. 7 न्यायाधिकरण पर लागू नहीं होगा-आगे, एस। 20 यह उन सभी आवेदनों पर लागू होता है जो किए जा सकते हैं, जिसमें समीक्षा के लिए आवेदन और अपील के अधीन आदेश भी शामिल हैं। 34 अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि 1993 का अधिनियम, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव डालेगा, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता शामिल है-उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से त्रुटि में था

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इसके विरुद्ध कोई अपील विचारणीय नहीं होगी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना और यह कि एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी-इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 2 (बी) और 2 (सी) "आवेदक" को परिभाषित करते हैं और " आवेदन ", क्रमशः, आवेदकों सहित और

ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19,31 ए के तहत दायर आवेदनों के साथ-साथ धारा के तहत दायर अपीलें 30 (1) अधिनियम से। धारा 31 ए के तहत एक आवेदन किसी भी अदालत द्वारा पारित डिक्री या आदेश को लागू करने के लिए एक आवेदन है।

अभी तक निष्पादित नहीं किया गया। धारा 30 (1) के तहत एक अपील वसूली अधिकारी के आदेशों के खिलाफ न्यायाधिकरण में एक अपील है। अधिनियम के तहत। नियम के नियम 2 (सी) में आवेदन को धारा 31 ए के तहत एक आवेदन को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है और

अधिनियम की धारा 31 के तहत दायर की गई अपील, धारा 19 के तहत दायर किए गए आवेदनों के अलावा, इसलिए है क्योंकि नियमों के नियम 4 के तहत, ऐसे आवेदन/अपील दायर करने की प्रक्रिया नियमों से जुड़े फॉर्म I से III के तहत है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नियमों के तहत इस विस्तारित परिभाषा में भी नियमों के नियम 5 ए के तहत दायर समीक्षा के लिए आवेदन शामिल नहीं है। में।

वास्तव में, नियम 7 यह स्पष्ट करता है कि समीक्षा के लिए आवेदनों सहित ऐसे प्रत्येक आवेदन को देखा जाता है [2020] 2 एस. सी. आर.

अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए देय शुल्क बहुत अलग हैं, जैसा कि नियमों के नियम 7 (2) से स्पष्ट है। [पैरा 8] [458-डी-एफ]

2. वास्तव में, इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या इसकी धारा 5

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने पहले पैराग्राफ 8 में कहा कि आर. डी. बी. अधिनियम निस्संदेह एक विशेष कानून है और बकाया राशि की शीघ्र वसूली के संबंध में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। बैंक और वित्तीय संस्थान। इसके बाद पैराग्राफ 9 में धारा 22 (1) को ध्यान में रखते हुए कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 5

3. इस न्यायालय का निर्णय इसे स्पष्ट करता है, हालांकि थोड़ा अलग संदर्भ में, कि एकमात्र आवेदन है आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24 द्वारा निर्दिष्ट एक आवेदन दायर किया गया है।

नियमों के नियम 5 ए के साथ पठित धारा 22 (2) (ई) के तहत आवेदन, यह निर्णय आवेदनों को बाहर करने के लिए सभी चार पर लागू होगा। जो आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24 के दायरे से समीक्षा आवेदन हैं। [पैरा 10] [461 ए-बी]

4. नियम 5 ए की आकस्मिक भाषा भी इसे बना देगी।

स्पष्ट करें कि 30 दिनों से आगे देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि नियम 5 ए को 1997 में जोड़ा गया था।

पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए लंबी अवधि, अर्थात् 60 दिन। इस अवधि को संशोधन द्वारा 04.11.2016 से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक, चाहे मूल या अपरिवर्तित प्रावधान में, देरी को माफ करने की कोई अलग शक्ति नहीं है, जैसा कि धारा में निहित है।

20 (3) अधिनियम की; और दूसरा, कि 60 दिनों की अवधि को बहुत लंबा माना गया था और इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया था, जिससे एक इरादा यह है कि समीक्षा याचिकाएं, यदि उन्हें दायर किया जाना है, तो सीमा की एक छोटी अवधि के भीतर होनी चाहिए-अन्यथा वे बनाए रखने योग्य नहीं होंगी।

[पैरा 14] [462 सी-डी] मानक चार्टर बैंक बनाम। एम एस टी सी लिमिटेड

5. इस न्यायालय का यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय गलत तरीके से

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII नियम 7 को लागू किया गया। अधिनियम की धारा 22 (1) यह स्पष्ट करती है कि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदेश XLVII नियम 7 न्यायाधिकरण पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, धारा 20 को ध्यान में रखते हुए, जो उन सभी अनुप्रयोगों पर लागू होता है जो हो सकते हैं

समीक्षा के लिए आवेदनों और उसमें किए गए आदेशों को अपील के अधीन होने के कारण, यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि आदेश XLVII नियम 7 कैसे लागू हो सकता है, यह देखते हुए कि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 20 एक पूर्ण और संपूर्ण संहिता का हिस्सा है। अधिनियम की धारा 34 यह स्पष्ट करती है कि 1993 का अधिनियम (और इसलिए, धारा 20), उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव डालेगा, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता शामिल है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने के विरुद्ध कोई अपील विचारणीय नहीं होगी और इसलिए एक रिट याचिका विचारणीय होगी, इस मामले में भी स्पष्ट रूप से त्रुटि थी। [पैरा 15 और 16] [462 ई; 463 बी-डी]

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया

लिमिटेड वी. एल्ड्रिच का आधिकारिक परिसमापक

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य (2017) 16 एससीसी

137 : (2017) 10 एससीआर 199-पर भरोसा किया गया।

कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एससीसी

320 : (2013) 11 एस. सी. आर. 25-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 10 एससीआर 199

पै

रा 2 (vii)

उस पर भरोसा करें

(2013) 11 एससीआर 25

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 501

2020 .

उच्च न्यायालय के 03.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की रिट याचिका संख्या 2765 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तुषार कूपर, सुश्री अनुष्का शारदा,

रोहित घोष, सुश्री स्मृति नायर, वरुण माथुर, आकाश लांबा, दिव्यांशु श्रीवास्तव (मेसर्स के लिए)। खेतान एंड कंपनी), एड. अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तुषार मेहता, एस. जी., अमर दवे, हेमंत शर्मा, सुश्री अनामिका, श्रीमती इंदु शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील दिलचस्प सवाल उठाती है जो उत्पन्न होते हैं

ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत (इसके बाद)

(i) 29.08.2008 पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता है और एम. एस. टी. सी. लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, के बीच एक प्राप्य खरीद समझौता निष्पादित किया गया है। इसमें प्रत्यर्थी, जिसके तहत प्रत्यर्थी द्वारा विदेशी खरीदारों के खिलाफ उठाए गए चालान के संबंध में विदेशी खरीदारों से प्राप्तियों को अपीलार्थी द्वारा खरीदा गया था। 95 % चालानों द्वारा जुटाई गई राशि का एक हिस्सा प्रत्यर्थी को प्रेषित किया गया था।

(ii) इन पक्षों द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक निर्यात बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई थी जिसके तहत

बीमा कंपनी विदेशी खरीदारों के भुगतान में चूक की स्थिति में प्रत्यर्थी और अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हुई।

(iii) अपीलार्थी ने उक्त बीमा कंपनी के पास एक दावा दायर किया था, जिसे हालाँकि, 03.03.2011 पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें

(iv) इसके बाद प्रतिवादी द्वारा डी. आर. टी. मुंबई के समक्ष एक आई. ए. दायर किया गया था, जिसमें इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी, जिसे अंततः 26.09.2013 पर निपटाया गया था और उससे एक अपील को 03.02.2017 पर खारिज कर दिया गया था, यह मानते हुए कि डी. आर. टी. मुंबई के पास मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। (v) इस बिंदु पर, अपीलार्थी द्वारा एक आई. ए. दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी के संबंधित वर्षों की तुलनपत्र में निहित प्रवेश को देखते हुए, रु। 222,51,00,000 / - प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को देय था। इस आई. ए. को डी. आर. टी. मुंबई ने 26.10.2017 पर अनुमति दी थी।

डी. आर. टी., ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 ए के तहत सीमा की अवधि 30 दिन है। इस समीक्षा याचिका को डी. आर. टी. द्वारा 21.04.2018 पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें इस न्यायालय के फैसले ने इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम आधिकारिक में रिपोर्ट किया था। एल्ड्रिच फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य के परिसमापक, (2017) 16 एस. सी. सी. 137 का पालन किया गया और सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को नियमों के नियम 5 ए के तहत दायर समीक्षा याचिकाओं पर लागू नहीं माना गया। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत लिए गए समय को बाहर करने के लिए एक और याचिका को भी डी. आर. टी. द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि अपील के बाद समीक्षा याचिका दायर की जाएगी।

(viii) दिनांक 21.4.2018 के आदेश से, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 26.04.2018 पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसका तब निपटारा किया गया था। 03.05.2019 पर आक्षेपित निर्णय द्वारा, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है, रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी। किसी भी मामले में, इस न्यायालय का निर्णय

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 30 पर विचार करने तक ही सीमित थी और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा क्योंकि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 के तहत किया गया एक मूल आवेदन (जो धारा 2 (बी के तहत परिभाषा खंड केवल धारा 19 के तहत किए गए आवेदनों पर लागू होता है और किसी अन्य पर नहीं) समीक्षा के लिए एक आवेदन को शामिल करेगा क्योंकि समीक्षा आवेदन आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित एक आदेश से उत्पन्न होगा, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, और इसलिए एक आवेदन नहीं होगा जो [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 से स्वतंत्र कहा जा सकता है। यह मामला होने के कारण, उच्च न्यायालय ने डी. आर. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया, समीक्षा आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया, और समीक्षा आवेदन को फाइल में बहाल कर दिया।

3. श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।

अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय गलत है

सभी मामलों में। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 7 पर विचार नहीं कर सकता था ताकि यह माना जा सके कि समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले आदेश की अपील डी. आर. ए. टी. के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं होगी, दोनों कारणों से कि आदेश 47

नियम 7 स्वयं आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत लागू नहीं होता है और इस कारण से कि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 20 यह स्पष्ट करती है कि

शिकायतें

आर. डी. बी. अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए सभी आवेदनों से डी. आर. ए. टी. को झूठ बोलना। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निर्णय

इस मामले में इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए था क्योंकि फैसले के अनुपात निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि यह केवल धारा 19 के तहत आवेदन हैं जो आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24 में संदर्भित हैं, और यह मामला होने के कारण, एक समीक्षा आवेदन है, जो एक स्वतंत्र आवेदन है।

कार्यवाही, अभिव्यक्ति के भीतर शामिल नहीं किया जा सका

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 20 के साथ नियमों के नियम 5 ए की तुलना, क्योंकि उक्त नियम में आकस्मिक भाषा का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 30 दिनों से अधिक समय तक दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को इस तथ्य के साथ खारिज करना होगा कि विलंब को माफ करने का कोई प्रावधान, जैसा कि धारा 20 में है, नियम 5 ए में निहित नहीं है, यह भी स्पष्ट करेगा कि विवादित निर्णय को इस आधार पर भी गलत ठहराया जाना चाहिए।

4. श्री अमर दवे, की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रत्यर्थी ने इनमें से प्रत्येक विवाद का दृढ़ता से विरोध किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हमें इस तथ्य पर विचार करने के लिए कहा कि डी. आर. टी. से पहले ओ. ए. 2012 में था, और पांच साल तक इंतजार करने के बाद ही 2017 में प्रवेश पर निर्णय के लिए एक पूरी तरह से तुच्छ आवेदन लिया गया

था। उन्होंने धारा 19, विशेष रूप से, इसकी उप-धारा (2) को यह तर्क देने के लिए भी कहा कि धारा 19 अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले आवेदनों के प्रकारों के बारे में विस्तृत नहीं है।

उन्होंने मानक चार्टर बैंक बनाम पर भी दृढ़ता से भरोसा किया। एम. एस. टी. सी. लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय के फैसले के तर्क पर, और कहा कि धारा 19 और 22 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक समीक्षा कार्यवाही मूल कार्यवाही से निकलती है और वास्तव में कार्यवाही का हिस्सा है, और इस मामले को देखते हुए, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24

कार्यवाहियों की समीक्षा करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को भी लागू करें। उन्होंने अनुच्छेद 12 पर दृढ़ता से भरोसा किया, विशेष रूप से, इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ऊपर) ने तर्क दिया कि उस फैसले के तथ्यों और वर्तमान मामले के तथ्यों के बीच एक मौलिक अंतर था। अंतर यह है कि पहले के फैसले में, धारा 30 पहले और बाद में

संशोधन निर्धारित किया गया था और यह कहा गया था कि वसूली अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपील, जो आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 30 द्वारा शासित होगी, किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई अपील होगी।

नामित व्यक्ति जो एक न्यायाधिकरण नहीं है, और यह मामला होने के कारण, पैराग्राफ 12 का दूसरा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें यह न्यायालय तब कहता है कि यदि वसूली अधिकारी को एक न्यायाधिकरण माना जाता, तो मामले को पूरी तरह से अलग तरीके से देखना पड़ता। यह उसका था।

इसलिए यह मामला कि यह निर्णय पूरी तरह से अलग करने योग्य है। उन्होंने रिट की स्थिरता पर विवादित फैसले का भी समर्थन किया। याचिका.

5. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, यह आवश्यक है कि

आर. डी. बी. अधिनियम के कुछ प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों को निर्धारित करें। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 2 (बी) इस प्रकार बताती हैः

" 2. परिभाषाएँ।

(ख) "आवेदन" से किसी न्यायाधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है। धारा 19 के तहत; "

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 इस प्रकार बताती हैः

" 19. न्यायाधिकरण में आवेदन। -

(1) जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को किसी व्यक्ति से किसी भी ऋण की वसूली करनी है, वह उस न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं हैं।

(क) बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा या कोई अन्य कार्यालय एक ऐसा खाता रख रहा है जिसमें कुछ समय के लिए दावा किया गया ऋण बकाया है; या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

((क) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहाँ एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय,

वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; या

(ख) कोई भी प्रतिवादी, जहां एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय, वास्तव में और स्वेच्छा से

रहते हैं या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; या

(ग) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है

किसी भी व्यक्ति से उसके ऋण ने उप-धारा (1) के तहत और उसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया है। किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान का भी अपने ऋण की वसूली का दावा है, फिर बाद का बैंक या वित्तीय संस्थान आवेदन के किसी भी चरण में आवेदक बैंक या वित्तीय संस्थान में शामिल हो सकता है।

अंतिम आदेश पारित होने से पहले उस न्यायाधिकरण में आवेदन करके कार्यवाही की जाती है।

XXX XXX XXX

न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ दस्तावेज या उनकी वास्तविक प्रतियां, जिन पर प्रतिवादी ने अपने बचाव में भरोसा कियाः बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, वहां पीठासीन अधिकारी, असाधारण मामलों में और विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए, अपने बचाव का लिखित बयान दाखिल करने के लिए उक्त अवधि को पंद्रह दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

XXX XXX XXX (18) जहां न्यायाधिकरण को यह न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता है, वहां न्यायाधिकरण आदेश द्वारा ऐसा कर सकता है

(क) ऋण की वसूली के लिए प्रमाण पत्र देने से पहले या बाद में किसी भी संपत्ति के प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करना; और चार्टेड बैंक v.

(ख) किसी भी व्यक्ति को कब्जे या अभिरक्षा से हटा दें।

संपत्ति;

(ग) उसी को कब्जे, अभिरक्षा या अभिरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करें

प्राप्तकर्ता का प्रबंधन;

(घ) प्राप्तकर्ता को ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे - न्यायालयों में वाद लाना और उनका बचाव करना या न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करना और उनका बचाव करना और प्राप्ति के लिए,

संपत्ति का प्रबंधन, संरक्षण, संरक्षण और सुधार, किराए और उसके लाभों का संग्रह, ऐसे किराए और लाभों का आवेदन और निपटान, और दस्तावेजों का निष्पादन जो मालिक के पास स्वयं है, या उन शक्तियों में से जो न्यायाधिकरण उचित समझता है; और (ङ) प्रतिवादी की संपत्तियों की सूची तैयार करने या उसकी बिक्री के लिए एक आयुक्त नियुक्त करें।

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 20,21 और 22 इस प्रकार बताती है:

" 20. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करें। - (1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत किसी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित है, या माना जाता है कि वह किया गया है,

किसी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करना पसंद कर सकते हैं जिसमें

मामले में अधिकार क्षेत्र।

XXX XXX XXX (3) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील दायर की जाएगी

तीस दिनों की अवधि जिस तारीख को न्यायाधिकरण द्वारा किए गए या किए गए आदेश की एक प्रति उसे प्राप्त होती है और यह ऐसे रूप में होगी और इसके साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

ऐसा शुल्क जो निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अपीलीय न्यायाधिकरण में पचास जमा किए हैं।

उससे इस प्रकार देय ऋण राशि का प्रतिशत

धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जमा की जाने वाली राशि को ऐसी राशि से कम कर सकता है जो इस प्रकार जमा किए जाने वाले ऐसे ऋण की राशि के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो।

इस खंड में। 22. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ और

अपीलीय न्यायाधिकरण। - (1) न्यायाधिकरण और अपीलीय

न्यायाधिकरण निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इस अधिनियम और किसी भी नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जिन पर वे कार्य करेंगे।

उनकी बैठकें हों।

(2) न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्यों के लिए,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के समान, एक मुकदमे की सुनवाई करते समय,

(a) XXX XXX (ङ) अपने निर्णयों की समीक्षा करना;

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार बताती हैः

" 24. सीमा। सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, किसी आवेदन पर लागू होंगे। एक न्यायाधिकरण के लिए बनाया गया "।

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 34 (1) इस प्रकार बताती हैः

" 34. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें।

(1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर

इस अधिनियम का प्रभाव कुछ भी होने के बावजूद होगा।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या सद्गुण द्वारा प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में इसके साथ असंगत

इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून का।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) की धारा 2 (बी) और 2 (सी)

यूलस, 1993 निम्नलिखित रूप में बताता हैः

एंडार्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। एम. एस. टी. सी. लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख)-"आवेदक" से धारा 19 या धारा 31 क के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें एक - " आवेदक "जो धारा 30 (1) के तहत अपील दायर करता है

अधिनियम;

(ग) "आवेदन" से धारा 19 या धारा 31 क के तहत दायर एक आवेदन अभिप्रेत है और इसमें दायर एक "अपील" शामिल है।

अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत "

नियमों की धारा 4 (1) इस प्रकार बताती हैः

" 4. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया (1) धारा 19 या धारा 31 ए के तहत या अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्रमशः प्रपत्र I, प्रपत्र II और प्रपत्र III में संभव

इन नियमों के साथ आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके एजेंट द्वारा या किसी विधिवत अधिकृत कानूनी व्यवसायी द्वारा उस पीठ के पंजीयक को संलग्न किया गया है जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका मामला आता है या होगा -

पंजीयक को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है। "

नियमों के यू. एल. 5 ए में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 5A.Review।

(1) अभिलेख में स्पष्ट रूप से किसी गलती या त्रुटि के कारण न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष अपने खिलाफ किए गए आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो वह आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

न्यायाधिकरण को जिसने आदेश दिया था।

(2) इसके बाद समीक्षा के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति और

ऐसा कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि

आवेदन को सत्यापित करने वाला एक शपथ पत्र।

(3) जहाँ न्यायाधिकरण को यह प्रतीत होता है कि समीक्षा के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा लेकिन जहां न्यायाधिकरण की राय है कि समीक्षा के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए, वह इसे प्रदान करेगाः

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आवेदन विरोधी पक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना नहीं दिया जाएगा ताकि वह आदेश के समर्थन में उपस्थित हो सके और उसे सुना जा सके, जिसकी समीक्षा -

सी. आर. के लिए आवेदन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियमों के नियम 7 में इस प्रकार कहा गया हैः

" 7. आवेदन शुल्क

(1) अधिनियम की धारा 19 (1), या धारा 19 (2), या धारा 19 (8), या धारा 30 (1) के तहत प्रत्येक आवेदन, या मध्यस्थ आवेदन या न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन उप-नियम (2) में दिए गए शुल्क के साथ होगा और ऐसा शुल्क एक क्रॉस बैंक डिमांड के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है।

बैंक या भारतीय डाक आदेश के पक्ष में तैयार किया गया मसौदा

न्यायाधिकरण के पंजीयक और उस स्थान पर देय जहां

न्यायाधिकरण स्थित है।

(2) देय शुल्क की राशि इस प्रकार होगीः

अनुप्रयोग की प्रकृति

एस. नं.

शुल्क की राशि

देय

बकाया ऋणों की वसूली के लिए आवेदन

1 .

धारा 19 (1) या धारा 19 (2) के तहत। रु। 12,000

अधिनियम का

रु. 12,000 इसके

अलावा रु।

(क) जहाँ प्रत्येक के लिए देय ऋण की राशि 1,000 है।

रु. 10 लाखों

लाखों रुपये का कर्ज

देय या उसका हिस्सा

(ख) जहां ऋण की राशि

रुपये से अधिक। 10

देय राशि रुपये से अधिक है। 10 लाखों

लाख, एक के अधीन

अधिकतम

रु. 1,50,000

दावे का प्रतिवाद करने के लिए आवेदन

2 .

रु. 12,000

अधिनियम की धारा 19 (8) -

((a) जहाँ दावे की राशि

रु. 12,000 इसके

अलावा रु।

बनाया गया रुपये तक है। 10 एक लाख।

1,000 हर एक के

लिए

लाख रुपये या आंशिक

रूप से

(ख) जहाँ दावे की राशि

इसकी अधिकता

बनाया गया रुपये से ऊपर है। 10 एक लाख।

से रु. 10 लाख,

ए के अधीन

अधिकतम

से

रु.

1,50,000 मानक चार्टर बैंक बनाम। एम. एस. टी. सी. लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समीक्षा के लिए आवेदन सहित

3 .

रुपये के संबंध में आवेदन की समीक्षा करें। 125

प्रतिवाद-दावा

50 %

देय शुल्क का

(ए) एक अंतरिम आदेश के खिलाफ

में

दरें

के रूप में

में लागू

होता है

(ख) एक अंतिम आदेश के खिलाफ

इसके तहत

आवेदन

सुधार के लिए क्लूडिंग समीक्षा

धारा 19

(1) या

लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों का

19 (8

) अधिनियम का,

ए के

अधीन

अधिकतम

रु.

15,000

अंतर्वर्ती आदेश के लिए आवेदन

4 .

रु. 250

आदेशों के खिलाफ अपील

5 .

पुनर्प्राप्ति अधिकारी

यदि इसके विरुद्ध अपील की गई राशि है -

रु.

12,000
रु. 20,000

((i) रु. से कम। 10 लाखों

((ii) रु। 10 लाख या उससे अधिक लेकिन कम

रु.

30,000

रुपये से अधिक। 30 लाखों

((iii) रु। 30 लाख या उससे अधिक

6 .

वकालतनामा

रु. 5 "

6. अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों का अध्ययन

यह दर्शाता है कि समीक्षा याचिकाओं को नियमों के नियम 5 ए के साथ धारा 22 (2) (ई) में पढ़ा जाता है। धारा 24, जो प्रावधानों को लागू करती है

किसी न्यायाधिकरण को किए गए आवेदनों के लिए सीमा अधिनियम की धारा 2 (बी) में निहित परिभाषा धारा के अनुसार, केवल इन पर लागू होगी -

धारा 19 के तहत किए गए आवेदन, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए ऋणों की वसूली के लिए मूल आवेदन हैं। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि समीक्षा के लिए आवेदन को संभवतः अधिनियम के प्रावधानों को सरसरी रूप से पढ़ने पर भी धारा 19 के तहत दायर आवेदन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह इसके मूल का पता लगाता है

नियमों के नियम 5 ए के साथ पठित धारा 22 (2) (ई)। 7. वास्तव में, अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण में किए गए आवेदन केवल ऋण की वसूली के लिए किए जाते हैं।

किसी भी व्यक्ति से। यहां तक कि धारा 19 (2), जिस पर श्री दवे दृढ़ता से भरोसा करते हैं, यह स्पष्ट करती है कि कोई अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान [2020] 2 एस. सी. आर. कर सकता है।

अंतिम आदेश पारित होने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी आवेदक बैंक या वित्तीय संस्थान में शामिल होने के लिए उसी ऋणी के खिलाफ ऐसे अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण के लिए आवेदन करें। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 19 (5) के तहत, एक लिखित बयान में सेट-ऑफ और/या काउंटर-क्लेम का दावा शामिल हो सकता है और अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत, इसके लिए दायर आवेदनों में अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं।

अधिनियम की धारा 19 के तहत ऋणों की वसूली। यह सब होना चाहिए।

समीक्षा के लिए एक आवेदन के विपरीत जो नियमों के नियम 5 ए के साथ पठित अधिनियम की धारा 22 (2) (ई) के तहत दायर किया जाता है। इस तरह के आवेदन ऋण की वसूली के लिए नहीं हैं, बल्कि केवल सुधार के लिए हैं।

धारा 19 के तहत दायर एक आवेदन में दिए गए निर्णय में रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियां।

8. नियमों को पढ़ना भी उत्साहजनक है। नियमों के नियम 2 (बी) और 2 (सी) क्रमशः "आवेदक" और "आवेदन" को इस प्रकार परिभाषित करते हैं -

जिसमें धारा 19,31 ए के तहत दायर किए गए आवेदक और आवेदन भी शामिल हैं।

अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत दायर अपीलों के रूप में। धारा 31 ए के तहत एक आवेदन 2000 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले किसी भी अदालत द्वारा पारित डिक्री या आदेश को लागू करने के लिए एक आवेदन है और जिसे अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। धारा 30 (1) के तहत एक अपील अधिनियम के तहत किए गए वसूली अधिकारी के आदेशों के खिलाफ न्यायाधिकरण में एक अपील है। नियमों के नियम 2 (सी) में आवेदन को धारा 19 के तहत दायर आवेदनों के अलावा धारा 31 ए के तहत एक आवेदन और अधिनियम की धारा 31 के तहत दायर अपील को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि नियमों के नियम 4 के तहत, इस तरह के आवेदन/अपील दायर करने की प्रक्रिया नियमों में संलग्न प्रपत्र I से III के तहत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नियमों के तहत इस विस्तारित परिभाषा में भी नियमों के नियम 5 ए के तहत दायर समीक्षा के लिए आवेदन शामिल नहीं है। वास्तव में, नियम 7 यह स्पष्ट करता है कि समीक्षा के लिए आवेदनों सहित ऐसे प्रत्येक आवेदन को अलग से देखा जाता है और

स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए देय शुल्क बहुत अलग हैं, जैसा कि नियमों के नियम 7 (2) से स्पष्ट है।

9. वास्तव में, यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण में

कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) को इस बात पर विचार करना था कि क्या धारा 5

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने पहले पैराग्राफ 8 में कहा कि आर. डी. बी. अधिनियम निस्संदेह एक विशेष कानून है और मानक चार्टर बैंक v के संबंध में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

एम एस टी सी लिमिटेड

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय राशि की उचित वसूली। इसके बाद

पैराग्राफ 9 में धारा 22 (1) को ध्यान में रखते हुए और यह कहते हुए कि धारा 5 ई सीमा अधिनियम एक न्यायाधिकरण पर स्वतः लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक अदालत नहीं है (पैराग्राफ 10 में), न्यायालय ने आगे कहाः

" 11. आर. डी. बी. की धारा 2 (बी) के तहत एक "आवेदन" को परिभाषित किया गया है।

अध्याय IV में प्रावधान मूल संस्था से संबंधित है। न्यायाधिकरण के समक्ष वसूली कार्यवाही। इसके खिलाफ एक याचिका है।

से पहले धारा 20 के तहत न्यायाधिकरण का आदेश

45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे अधिनियम की धारा 20 (3) के प्रावधान के तहत पर्याप्त कारण के लिए माफ किया जा सकता है। न्यायाधिकरण धारा 19 (22) के तहत वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है जो तब अध्याय 5 के तहत आगे बढ़ता है।

निर्धारित तरीके से प्रमाण पत्र राशि की वसूली के लिए। वसूली अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति कर सकता है नियम 4 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करना पसंद करते हैं।

निर्धारित प्रपत्र III में आवेदन। नियम 2 (सी) धारा 30 (1) के तहत अपील का ज्ञापन शामिल करने के लिए एक "आवेदन" को परिभाषित करता है। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को विशिष्ट रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अपीलीय न्यायाधिकरण से 30 दिनों के भीतर। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24, इसलिए, स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम के प्रावधानों को केवल ऐसे मूल "आवेदन" पर लागू करती है।

केवल धारा 19 के तहत बनाया गया। एक की परिभाषा

" नियम 2 (सी) के तहत आवेदन को पढ़ने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 2 (बी) के साथ संयोजन अधिनियम के प्रावधानों से परे इसके अर्थ का विस्तार करता है और फिर आरडीबी अधिनियम की धारा 24 को अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत अपील पर लागू करता है। ऐसी कोई भी व्याख्या पूरी तरह से विधायी इरादे के विपरीत होगी, जो नियमों को अधिनियम के प्रावधान और सीमाओं से परे विस्तारित करेगी। अगर इरादा कुछ और होता तो कुछ नहीं होता।

विधानमंडल को ऐसा विशेष रूप से प्रदान करने से रोक दिया।

12. वर्ष 2000 में संशोधन से पहले और बाद की धारा 30 के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि एक न्यायाधिकरण के रूप में वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की मानित स्थिति को अस्वीकार किया जाता है। क्या वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को माना गया था

एक न्यायाधिकरण के समक्ष, पूरी तरह से अलग विचार हो सकते हैं उभरे हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2000 के बाद 2000 की धारा 30 से पहले पुरानी धारा 30

संशोधन

संशोधन

" 30 वसूली अधिकारी के आदेश " 30. के खिलाफ याचिका दायर

न्यायाधिकरण के आदेश के रूप में माना जाएगा। - वसूली अधिकारी का आदेश। कुछ भी होने के बावजूद (1) कुछ भी होने के बावजूद

धारा 29 में निहित, धारा 29 में निहित, कोई भी

एक आदेश से व्यथित वसूली व्यक्ति द्वारा किया गया आदेश

वसूली अधिकारी की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारी बनाया गया धारा 25 से 28 के तहत (दोनों इस अधिनियम के तहत तीस के भीतर)

जिस तारीख से ए

समावेशी), माना जाएगा न्यायाधिकरण द्वारा बनाया गया है

आदेश की प्रति उसे जारी की जाती है,

न्यायाधिकरण में अपील करना पसंद करते हैं।

और इस तरह के खिलाफ एक अपील आदेश अपीलीय को दिए जाएँगे

(2) के तहत एक अपील प्राप्त होने पर

उप-धारा (1), न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण "।

मौका देने के बाद

अपीलार्थी की सुनवाई के लिए, और

इस तरह की जांच करने के बाद फिट, पुष्टि, संशोधन या सेट समझता है

द्वारा किए गए आदेश को अलग करते हुए

धारा 25 के तहत उसकी शक्तियाँ

28 तक (दोनों समावेशी) "।

13. आर. डी. बी. अधिनियम एक विशेष कानून है। कार्यवाही इस प्रकार है

एक सांविधिक न्यायाधिकरण के समक्ष। अधिनियम की योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विधायिका ने केवल धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष मूल कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने का प्रावधान किया है। अपीलीय न्यायाधिकरण को धारा के तहत 45 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है।

20 (3) अधिनियम से। वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं होती है। धारा 24 केवल धारा 19 के तहत उत्पन्न होने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लिए अपने आवेदन में सीमित है। सी. टी. की धारा 30 के तहत अपील को प्राथमिकता देने में न्यायाधिकरण द्वारा समय बढ़ाने के लिए किसी भी प्रावधान का बहिष्कार।

इसलिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2) का सहारा नहीं लिया जाता है। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की निर्धारित अवधि को माफ नहीं किया जा सकता है। सीमा अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग। मानक चार्टर बैंक बनाम।

10. इस न्यायालय का निर्णय यह स्पष्ट करता है, हालांकि थोड़ा अलग संदर्भ में, कि एकमात्र आवेदन जिसे संदर्भित किया गया है

22 (2) (ई) नियमों के नियम 5 ए के साथ पढ़े जाने पर, यह निर्णय उन सभी आवेदनों को बाहर करने के लिए लागू होगा जो समीक्षा आवेदन हैं। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 24 के दायरे से।

11. हालाँकि, श्री डेव ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 12 पर बहुत जोर दिया और विशेष रूप से, सजा में "वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को एक न्यायाधिकरण के समक्ष माना गया था।

पूरी तरह से अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इसी से

इस वाक्य में, विद्वान वकील ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि यह न केवल धारा 19 के तहत आवेदन होंगे जो धारा 24 में बताए गए "आवेदन" के भीतर आएंगे, बल्कि अन्य आवेदन भी होंगे।

12. हमें डर है कि हम उपरोक्त निवेदन से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इस फैसले का स्पष्ट अनुपात यह तय करता है कि

यह बहुत स्पष्ट है कि धारा 24 में निर्दिष्ट एकमात्र आवेदन धारा 19 के तहत दायर एक आवेदन है और किसी अन्य के लिए नहीं। श्री डेव द्वारा निकाला गया और जिस वाक्य पर भरोसा किया गया है, वह केवल धारा 30 के संदर्भ में अर्थ रखता है, जब इसे संशोधित धारा 30 के साथ पढ़ा जाता है। असंशोधित धारा के तहत, जब वसूली अधिकारी का

आदेश को न्यायाधिकरण का आदेश माना जाता था, अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में होती थी। इसका अर्थ यह होगा कि आर. डी. बी. की धारा 20 अधिनियम लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप धारा 20 (3) लागू होगी और देरी को माफ करने की अनुमति देगी। संशोधन के बाद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वसूली अधिकारी को अब न्यायाधिकरण नहीं माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वसूली अधिकारी के आदेश से अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में नहीं, बल्कि पहली बार के न्यायाधिकरण में की जाती है। इसमें यह

इस संदर्भ में कि न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 12 में उपरोक्त सजा को पढ़ा जाना है, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि असंशोधित धारा

30 धारा 20 (3) में निहित प्रावधान लागू किया जाएगा, जो देरी को माफ करने की अनुमति देता है।

13. श्री डेव का दूसरा तर्क है कि, किसी भी मामले में, एक समीक्षा

याचिका केवल मूल कार्यवाही में दिए गए आदेश का एक सुधार है, और इसलिए मूल कार्यवाही के आंशिक रूप को कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

कार्यवाही की मूल सुनवाई के साथ तुलना नहीं की जा सकती है मामला।

20.2 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) XXX

((ग) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मूल कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती।

मामले की सुनवाई "।

14. नियम 5 ए की आकस्मिक भाषा भी इसे स्पष्ट करेगी।

जिसे पुनरीक्षण याचिका दायर करनी है, अर्थात् 60 दिन। इस अवधि को संशोधन द्वारा 04.11.2016 से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक, चाहे मूल या अपरिवर्तित प्रावधान में, देरी को माफ करने की कोई अलग शक्ति नहीं है, जैसा कि निहित है। अधिनियम की धारा 20 (3) में; और दूसरा, कि 60 दिनों की अवधि को बहुत लंबा माना गया था और इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया था, जिससे यह इरादा प्रकट होता है कि यदि पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जानी हैं, तो वे सीमा की कम अवधि के भीतर होनी चाहिए-अन्यथा वे बनाए रखने योग्य नहीं होंगी।

15. हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से लागू किया

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XLVII नियम 7। आदेश XLVII नियम 7 निम्नानुसार बताता हैः

" 7. अस्वीकृति का आदेश अपील योग्य नहीं है-आदेश पर आपत्तियाँ

आवेदन देना।

सूट। (2) जहां आवेदक के उपस्थित होने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिया गया है, वह आवेदन कर सकता है

अस्वीकार किए गए आवेदन को फाइल में पुनर्स्थापित करने का आदेश, और जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि जब इस तरह के आवेदन को सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे किसी भी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, तो न्यायालय इसे मानक चार्टर बैंक v होने का आदेश देगा।

लागत या अन्यथा जैसी वह उचित समझे, ऐसी शर्तों पर फाइल में पुनर्स्थापित किया जाएगा और उसी की सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करेगा।

(3) उप-नियम (2) के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विरोधी पक्ष को नहीं दी गई हो।

अपील के अधीन होने के कारण, यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि आदेश XLVII नियम 7 कैसे लागू हो सकता है, यह देखते हुए कि आरडीबी अधिनियम की धारा 20 एक पूर्ण और संपूर्ण संहिता का हिस्सा है। अधिनियम की धारा 34 यह स्पष्ट करता है कि 1993 का अधिनियम (और इसलिए, धारा 20), उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव डालेगा, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता शामिल है। उच्च न्यायालय, अभिनिर्धारित करते हुए

यह कि पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने के विरुद्ध कोई भी अपील विचारणीय नहीं होगी, और इसलिए एक रिट याचिका विचारणीय होगी, इस मामले में भी स्पष्ट रूप से त्रुटि थी।

17. श्री दवे का तर्क है कि अपीलार्थी के आचरण के बारे में, जैसा कि

2012 में दायर एक आवेदन एक आई. ए. ने प्रार्थना की कि प्रवेश पर एक निर्णय दिया जाना चाहिए, जिसे अनुचित रूप से देर से दायर किया गया था, यानी केवल 2017 में, पांच साल बाद, भी खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। 2013 में, प्रतिवादी ने डी. आर. टी. मुंबई के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, जिसे अंततः 2017 में अपील में वापस ले लिया गया, जिसके बाद उक्त आई. ए. दायर किया गया। किसी भी मामले में, यह एक तर्क नहीं है जो अपने आप में, खारिज करने का कारण बनता है

अपीलार्थी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर एसएलपी।

18. इसलिए इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।